उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि.

Udaipur Dugdh Utpadak Sahakari Sangh Ltd.

Goverdhan Vilas, Ahmedabad Road, Udaipur (Raj.)
Ph.0294-2640839,2640188 e-mail:-saras@milkunionudaipur.com

टोल प्लाजा के नजदीक सरस बूथ संचालन हेतु संचालक की आवश्यकता

राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित निम्नलिखित टोल प्लाजा के नजदीक NHAI द्वारा आवंटित सरस बूथ (हाईवे नेस्ट मिनी) के संचालन हेतु इच्छुक व्यक्तियों से निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है।

1. मंडावड़ा–(उदयपुर–गोमती चौराहा NH-8)
2. नेगड़िया–(उदयपुर–गोमती चौराहा NH-8)
3 .खांडी ओबरी–(उदयपुर–शामलाजी NH-8)
4. गोगुन्दा (उदयपुर–पिण्डवाड़ा NH-76)
5. रूपाखेड़ा (राजसमंद–भीलवाड़ा NH-758)

निर्धारित आवेदन प्रपत्र विस्तृत विवरण के साथ www.milkunionudaipur.com से डाउनलोड अथवा कार्यालय दुग्ध संघ, उदयपुर से प्राप्त कर उदयपुर दुग्ध संघ में दिनांक 10.05.2018 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि– 10.05.2018

आवेदन प्रस्तुत करने का स्थान– उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि, उदयपुर

आवेदक के हस्ताक्षर
मोहर (यदि हो)

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड

'सरस संकुल', जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर–17

आवेदक का नाम		आवेदक की फोटो
पिता / पति का नाम		
पता वर्तमान		
स्थाई		
स्थाई पते का प्रमाण पत्र–मूल निवास / राशन कार्ड / मतदाता पहचान पत्र / आधार कार्ड / ड्राइविंग लाईसेंस की प्रति संलग्न करना आवश्यक है।		
दूरभाष संपर्क नं.	लैंडलाईन	
	मोबाईल नं	
वर्तमान व्यवसाय(यदि हो)		प्रमाण स्वरूप दस्तावेज संलग्न करें।
फूड सेफ्टी लाईसेंस नं. (यदि हो)		यदि नहीं हैं तो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
जी.एस.टी नं. (यदि हो)		यदि नहीं हैं तो कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
बूथ / कियोस्क संचालन का अनुभव (यदि हो)		प्रमाण स्वरूप दस्तावेज संलग्न करें।
आर्थिक सक्षमता (हां / नहीं)		क्या आवेदक बूथ / कियोस्क में डीपफ्रिज, मिनी कूलर, चाय / कॉफी मशीन आदि लगाने एवॅ बूथ / कियोस्क के रंग–रोगन तथा फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने हेतु आर्थिक रूप से सक्षम है। प्रमाण स्वरूप दस्तावेज संलग्न करें।
आवेदन प्रपत्र शुल्क रू0 500 / –	डी.डी. नं..दिनांक.................................. राशि रू0................ बैंक का नाम..	
अमानत राशि रू0 10000 / –	डी.डी. नं..दिनांक.................................. राशि रू0 .... बैंक का नाम..	
उस टोल प्लाजा का नाम जहां के बूथ / कियोस्क के लिए आवेदन किया गया है।	टोल प्लाजा का नाम व पताः..	

आवेदक के हस्ताक्षर
मोहर (यदि हो)

राजस्थान को–ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड़, जयपुर

राष्ट्रीय राजमार्गो पर स्थित टोल प्लाजा के नजदीक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्मित सरस बूथ/कियोस्क **<u>(Highway Nest Mini)</u>** को संचालन हेतु किराये पर दिए जाने की नियम व शर्ते

1. **सामान्य नियम व शर्ते**

1.1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(NHAI) द्वारा राजमार्ग के उपयोगकर्ताओं की सुविधाजनक यात्रा हेतु राजमार्गो पर स्थित टोल प्लाजा के समीप बूथ/कियोस्क (बूथ /कियोस्क से तात्पर्य–बूथ/कियोस्क, शौचालय, वाटर एटीएम तथा 10–12 वाहनों की पार्किंग सुविधा है) निर्मित कर आरसीडीएफ के माध्यम से संचालन का प्रस्ताव किया गया है। NHAI द्वारा बूथ/कियोस्क निर्मित कर आरसीडीएफ को Rent आधार पर उपलब्ध करवाए जावेंगे। आरसीडीएफ की ओर से जिला दुग्ध संघ द्वारा आवेदकों का चयन कर चयनित आवेदकों को इन बूथों/कियोस्क को Rent आधार पर आवंटित कर संचालित करवाए जावेंगे। आवेदकों का चयन जिला दुग्ध संघ द्वारा किया जावेगा तथा आवंटित बूथ/कियोस्क के लिए अनुबंध भी आवेदक तथा जिला दुग्ध संघ के बीच ही होगा।

1.2 NHAI के प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक टोल प्लाजा पर सड़क के दोनों ओर (अप एण्ड डाऊन) कुल 2 बूथ/कियोस्क बनवाये जावेंगे। आवेदक द्वारा जिस टोल प्लाजा के लिए आवेदन किया जावेगा उसे दोनों बूथ/कियोस्क आवंटित होंगे तथा आवेदक को दोनों बूथ/कियोस्क संचालित करने होंगे।

1.3 NHAI द्वारा बूथ/कियोस्क के साथ उपयोगकत्ताओं की सुविधा के लिए शौचालय, वाटर ए.टी. एम. तथा 10–12 वाहनों की पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जावेगी। बूथ/कियोस्क के पूर्ण परिसर (बूथ/कियोस्क, वाटर एटीएम, बैठनें का स्थान, पार्किंग, शौचालय आदि) की साफ–सफाई व रखरखाव(Condition, Operation and Repair & Maintenance of Kiosk, Water ATM and Toilet) आवेदक को स्वयॅ के खर्चे पर करना होगा। साफ–सफाई के लिए सफाई कर्मचारी संचालक द्वारा स्वंय के खर्चे पर लगाना होगा।

1.4 आवेदक को बूथ/कियोस्क परिसर का रखरखाव व संचालन NHAI, RCDF तथा उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. की प्रभावी व समय–समय पर संशोधित सांविधिक आवश्यकता और लागू नियम (Statutory requirements and applicable regulations) के अनुसार करना होगा।

1.5 NHAI द्वारा बूथ/कियोस्क का Structure तैयार कर आरसीडीएफ को उपलब्ध करवा दिया जावेगा। इस Structure पर आरसीडीएफ/NHAI द्वारा निर्धारित Design के अनुसार रंग–रोगन आवेदक को स्वयॅ के खर्चे पर करवाना होगा।

1.6 आवेदक आवंटित बूथ/कियोस्क पर आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित सूची के अनुसार ही वस्तुओं का विक्रय कर सकेगा। वस्तुओं की अधिकतम खुदरा दर आरसीडीएफ/संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा अनुमोदित की जावेगी। विक्रय हेतु वस्तुओं की अनुमोदित सूची की प्रति मय बिक्री मूल्य के आरसीडीएफ, उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. तथा NHAI को उपलब्ध करानी होगी तथा इसका प्रकाशन बूथ/कियोस्क पर करना होगा।

1.7 आवेदक को बूथ/कियोस्क के लिए Electricity and Water Connection, NHAI द्वारा दिया जावेगा। इसके लिए पृथक से Sub Meter लगाया जावेगा। आवेदक को Sub Meter की Reading के अनुसार अधिभार सहित NHAI को भुगतान करना होगा तथा प्राप्ति रसीद की प्रति उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. प्रतिमाह में प्रस्तुत करनी होगी।

आवेदक के हस्ताक्षर
मोहर (यदि हो)

1.8 बूथ/कियोस्क के आवंटित स्थल का आरसीडीएफ तथा/अथवा उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर द्वारा विज्ञापन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। बिजली के उपयोग वाली विज्ञापन सामग्री(Glow Sign Board etc.) का बिजली खर्च आवेदक द्वारा वहन किया जावेगा।

1.9 NHAI को बूथ/कियोस्क की सफाई एवें रखरखाव के संबंध में निरीक्षण का अधिकार होगा। इन निरीक्षणों में आवेदक को सहयोग करना होगा।

1.10 आरसीडीएफ तथा/अथवा उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. अथवा उनकी ओर से अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी द्वारा किसी भी समय बूथ/कियोस्क का निरीक्षण किया जा सकेगा। निरीक्षण में आवेदक को सहयोग करना होगा।

1.11 NHAI/आरसीडीएफ/ उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर को आवेदक को आवंटित बूथ/कियोस्क की संख्या तथा/अथवा स्थान परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा। इस प्रकार के परिवर्तन के कारण आवेदक को हुई हानि/असुविधा के लिए NHAI अथवा आरसीडीएफ अथवा उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उत्तरदायी नहीं होगा। आवेदक को स्थान परिवर्तन/संशोधन में सहयोग करना होगा।

2.0 आवेदन प्रक्रिया

2.1 आवेदक को निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ही आवेदन करना है। निर्धारित आवेदन प्रपत्र दुग्ध संघ, उदयपुर की वेबसाईट www.milkunionudaipur.com से Download किया जा सकता है अथवा निर्धारित आवेदन प्रपत्र शुल्क रू0 500/— का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर से व्यक्तिशः प्राप्त किया जा सकता है। वेबसाईट से Download किए जाने की स्थिति में आवेदन के साथ आवेदन प्रपत्र शुल्क रू0 500/— का डिमाण्ड ड्राफ्ट आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट **उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर** के नाम होना चाहिए। आवेदन प्रपत्र शुल्क Non Refundable है, अतः लौटाया नहीं जावेगा।

2.2 आवेदक द्वारा परिपूर्ण आवेदन पत्र मय अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट, आवेदन प्रपत्र शुल्क के डिमाण्ड ड्राफ्ट(यदि आवेदन प्रपत्र डाऊनलोड किया गया है) तथा आवेदन में माँगे गए दस्तावेजों के साथ दुग्ध संघ, उदयपुर में दिनांक 10.05.2018 को सायं 05.00 बजे तक व्यक्तिशः अथवा डाक द्वारा जमा करवाए जा सकते है।

2.3 टोल प्लाजाओं पर स्थित बूथ/कियोस्कों के लिए आवेदन उनके अग्रलिखित जिला दुग्ध संघों से प्राप्त किए जा सकते है तथा परिपूर्ण आवेदन निर्धारित तिथि तक जमा कर सकते है।

2.4 आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज माँगे गये है जिन्हे उनके अग्रलिखित अनुसार संलग्न किया जा सकता है।

i) वर्तमान व्यवसाय : यदि आवेदक का वर्तमान में कोई व्यवसाय है तो उसका उल्लेख आवेदन में कर सकते है। इसके प्रमाण में यदि कोई दस्तावेज हो तो संलग्न किया जावे।

ii) FSSAI : FSSAI के तहत् अनुज्ञापत्र आवश्यक है। यदि उक्त अनुज्ञापत्र उपलब्ध हो तो सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें अन्यथा बूथ/कियोस्क प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुज्ञापत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

iii) जीएसटी : वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत् पंजीयन आवश्यक है। यदि उक्त पंजीयन प्रमाणपत्र उपलब्ध हो तो सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करें अन्यथा बूथ/कियोस्क प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा।

iv) अनुभव : यदि आवेदक को बूथ/कियोस्क/दुग्ध पार्लर अथवा समकक्ष संचालन का कोई अनुभव हो तो प्रमाण में दस्तावेज की सत्यापित प्रति संलग्न करें।

2.5 आवेदन के साथ आवेदन प्रपत्र शुल्क तथा अमानत राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न किए जाने आवश्यक है। इनके अभाव में आवेदन स्वीकार नहीं किया जावेगा।

3.0 <u>अमानत राशि</u>

3.1 आवेदक को आवेदन के साथ अमानत राशि रू0 10,000/– (अक्षरे रूपया दस हजार मात्र) जमा करवानी होगी। यह राशि उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के नाम डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा करवाई जा सकती है। चेक स्वीकार्य नहीं होंगे। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। चयनित आवेदकों की अमानत राशि धरोहर राशि में समायोजित कर ली जावेगी जबकि शेष आवेदकों की अमानत राशि चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के तीन माह में लोटा दी जावेगी।

3.2 आवेदन प्रपत्र शुल्क तथा अमानत राशि के डिमान्ड ड्राफ्ट **<u>उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., उदयपुर</u>** के नाम से बनवाये जाने है।

4.0 <u>धरोहर राशि</u>

4.1 चयनित आवेदकों को बूथ/कियोस्क के आवंटन के लिए धरोहर राशि रू0 10,000/– (अक्षरे रूपया दस हजार मात्र) उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. में जमा करवानी होगी। आवेदक द्वारा आवेदन के साथ जमा करवाई गई अमानत राशि का संघ द्वारा धरोहर राशि में समायोजन कर लिया जावेगा। यह धरोहर राशि अनुबंध पूर्ण हो जाने के बाद NHAI से अबकाया प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर एक माह में लौटा दी जावेगी। इस राशि कर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

4.2 चयनित आवेदकों को जिला दुग्ध संघ में जमा करवाई गई धरोहर राशि के अतिरिक्त रू0 25000/–(अक्षरे रू0 पच्चीस हजार मात्र) धरोहर राशि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) में भी जमा करवानी होगी। इस राशि कर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

5.0 <u>बूथ/कियोस्क की आवंटन प्रक्रिया</u>

5.1 उपरोक्त बूथों/कियोस्क के आवंटन के लिए आवेदकों का चयन पूर्णतया उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के विवेकाधीन होगा। जिला दुग्ध संघ द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा जो सर्वमान्य होगा तथा किसी भी आवेदक द्वारा किसी भी स्तर पर कोई आपत्ति नहीं की जा सकेगी।

5.2 आवेदक को उनके अनुभव, विशेषकर दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के मिल्क स्टॉल/पार्लर पर अनुभव एवं अनुभव अवधि के आधार पर प्राथमिकता दी जा सकेगी।

6.0 <u>आवंटित बूथ/कियोस्क का किराया</u>

6.1 NHAI द्वारा बूथ/कियोस्क, वाटर एटीएम व शौचालय निर्मित कर आरसीडीएफ को Rent के आधार पर उपलब्ध करवाए जावेंगे। NHAI तथा आरसीडीएफ के मध्य अनुबंध के तहत् इस संबंध में जो भी Rent निर्धारित होगा तथा समय–समय पर इसमें परिवर्तन के लिए जो भी प्रावधान निहित होंगे, आरसीडीएफ की ओर से जिला दुग्ध संघ द्वारा भी चयनित आवेदक को उसी Rent तथा समय–समय पर इसमें परिवर्तन के लिए निहित प्रावधान के आधार पर ही बूथ/कियोस्क आवंटित किया जावेगा। चयनित आवेदक को उसी अनुसार Rent राशि उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर में नियमित जमा करवानी आवश्यक होगी। वर्तमान में यह किराया रू0 500/– प्रति बूथ/कियोस्क निर्धारित है।

आवेदक के हस्ताक्षर
मोहर (यदि हो)

7.0 बूथ/कियोस्क की आवंटन अवधि

7.1 NHAI तथा आरसीडीएफ के मध्य अनुबंध के तहत् बूथ/कियोस्क आवंटन के लिए जो भी अवधि निर्धारित की जावेगी तथा इसमें समय–समय पर परिवर्तन के लिए जो भी प्रावधान निहित होंगे, आरसीडीएफ की ओर से जिला दुग्ध संघ द्वारा भी चयनित आवेदक को उसी अवधि तथा समय–समय पर इसमें परिवर्तन के लिए निहित प्रावधान के अनुसार ही बूथ/कियोस्क आवंटित किया जावेगा।

7.2 प्रारम्भिक स्वीकृति आदेश के तहत् दो वर्ष के लिए अनुमति दी जावेगी। दो वर्ष के उपरान्त संतोषजनक कार्य रिपोर्ट के आधार पर अवधि आगामी एक वर्ष के लिए बढ़ाई जावेगी। अवधि बढ़ाए जाने अथवा नहीं बढ़ाये जाने के संबंध में आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ का निर्णय अन्तिम होगा और निविदादाता द्वारा इस निर्णय के विरूद्ध कोई कानूनी कार्यवाही अथवा चुनौती नहीं दी जा सकेगी। बूथ/कियोस्क का संचालन कार्य असंतोषजनक पाए जाने अथवा किसी भी नियम–शर्त का उलंघन पाए जाने अथवा कोई भी अनियमितता पाए जाने पर किसी भी समय संचालन अनुमति निरस्त की जा सकेगी।

8.0 बूथ/कियोस्क को दुग्ध एवॅं दुग्ध उत्पाद की आपूर्ति एवॅं कार्य की शर्ते

8.1 संचालक को बूथ/कियोस्क के लिए निम्नानुसार सामान्य व्यवस्था करनी होगी।

- i) डीप फ्रिज
- ii) (VisiCooler)
- iii) चाय/कॉफी की मशीन
- iv) ऑवन
- v) आगुन्तकों के सुविधाजनक बैठनें हेतु पर्याप्त फर्नीचर
- vi) गार्डन अम्ब्रेला
- vii) अन्य आवश्यक व्यवस्थाएॅं जो बूथ/कियोस्क के सुन्दर स्वरूप व सुचारू संचालन के लिए आवश्यक हों।

8.2 बूथ/कियोस्क के लिए चयनित आवेदक को उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. द्वारा बिक्री के लिए उनके द्वारा Retailer के लिए तत्समय की निर्धारित दरों पर 'सरस' दुग्ध व दुग्ध उत्पाद शत प्रतिशत अग्रिम भुगतान पर उपलब्ध करवाए जावेंगे। यह दरें FOR होगी अर्थात् माल संबंधित दुग्ध संघ द्वारा बूथ/कियोस्क पर पहुॅंचाया जावेगा। एक बार प्राप्त कर ली सप्लाई किसी भी स्थिति में वापस नहीं ली जावेगी। कमीशन दर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. द्वारा निर्धारित की जावेगी।

8.3 'सरस' दुग्ध एवं दुग्ध उत्पाद पर बूथ/कियोस्क में बिक्री के लिए निर्धारित समस्त कर व खर्चे संचालक द्वारा वहन किए जावेंगे।

8.4 संचालक को सुनिश्चित रखना होगा कि ग्राहकों को उनकी माँग के अनुसार सरस दुग्ध, दुग्ध उत्पाद तथा अन्य वस्तुएँ सुगमता से उपलब्ध हो सके। इसके लिए संचालक को पर्याप्त स्टॉक रखना होगा।

8.5 आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ को समय–समय पर सरस उत्पादों एवँ बूथ/कियोस्क पर विक्रय हेतु अनुमोदित सूची की वस्तुओं की विक्रय दर के परिवर्तन का पूर्ण अधिकार होगा। परिवर्तन की स्थिति में पार्लर संचालक को सूचित कर दिया जावेगा।

9.0 हस्तान्तरण

9.1 बूथ/कियोस्क का आवंटन अहस्तानान्तरित होगा। संचालक को किसी भी परिस्थिति में बूथ/कियोस्क का आवंटन किसी अन्य को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से हस्तान्तरित करने का

आवेदक के हस्ताक्षर
मोहर (यदि हो)

अधिकार नहीं होगा। हालॉकि आवंटी की मुत्यु की स्थिति में आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ की अनुमति उपरान्त उसके पारिवारिक सदस्य के नाम आरसीडीएफ/संघ द्वारा बूथ/कियोस्क हस्तानान्तरित किया जा सकेगा।

9.2 NHAI द्वारा बूथ/कियोस्क के लिए उपलब्ध करवाया गया स्थल बूथ/कियोस्क के लिए ही उपयोग में लिया जा सकेगा।

10.0 **<u>अन्य शर्ते</u>**

10.1 बूथ/कियोस्क संचालक बाल श्रमिकों को कार्य पर नहीं लगा सकेंगे तथा ''बाल श्रमिक(निषेध व नियमन) कानून का पूर्ण पालन करेंगे। जिस श्रमिक को भी वह कार्य पर लगाऐंगे उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह 18 वर्ष की आयु से कम न हो, वह किसी भी संक्रामक रोग से ग्रसित न हो तथा उसका आचरण अच्छा हो अर्थात् उसका कोई क्रिमिनल रिकार्ड न रहा हो।

10.2 NHAI/आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ बूथ/कियोस्क संचालक को उनके किसी भी कर्मचारी को हटाने/बदलने का निर्देश दे सकेगी जिसे मानने के लिए संचालक बाध्य होगा।

10.3 NHAI/आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ को संस्था हित में अनुबन्ध की किसी भी शर्त को विलोपित करने, शर्तो में परिवर्तन करने, शर्तो में छूट देने व कोई भी नई शर्त 15 दिवस का नोटिस देकर लागू करने का अधिकार होगा। अन्य कोई शर्त होगी तो संचालक को अवगत करवा दी जावेगी जो उसे मान्य होगी।

10.4 बूथ/कियोस्क संचालक को कार्य की महत्ता, गुणवत्ता व मात्रा के अनुसार स्टाफ लगाना होगा। स्टाफ के वेतन, भत्तों, भविष्य निधि, ई0एस0आई0, अवकाश आदि तथा विभिन्न नियमों, अधिनियमों व प्रावधानों के अनुसार देय समस्त लाभों, परिलाभों व सुविधाओं के लिए पार्लर संचालक ही उत्तरदायित्व होगा।

10.5 'सरस' बूथ/कियोस्क पर कार्यरत स्टाफ की एकरूपता के लिए स्टाफ को वर्दी (Uniform) दिए जाने की सलाह दी जाती है।

11.0 **<u>शास्तियॉ</u>**

11.1 सफल आवेदक को दुग्ध संघ, उदयपुर द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में उल्लेखित अवधि में समस्त औपचारिकताएॅ पूर्ण कर बूथ/कियोस्क का संचालन कार्य प्रारम्भ करना होगा अन्यथा आवेदक का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

11.2 यदि किसी भी कारण से आवेदक द्वारा बूथ/कियोस्क संचालन कार्य बीच में ही छोड़ देने से NHAI/आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ को कोई हानि होती है अथवा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए कोई अतिरिक्त व्यय किया जाता है तो समस्त वसूली आवेदक की धरोहर राशि से की जा सकेगी।

11.3 बूथ/कियोस्क संचालन संबंधी समस्त नियमों, अधिनियमों, प्रावधानों, अध्यादेशों आदि के अनुसार रेकार्ड हमेशा पूर्ण रखने का उत्तरदायित्व संचालक का होगा।

11.4 संचालक अथवा उसके स्टाफ द्वारा की लापरवाही या अदूरदर्शिता के कारण NHAI/आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ को कोई हानि होती है अथवा किसी भी कारण से संस्था का कोई बकाया संचालक में रहता है तो वसूली योग्य समस्त राशि की वसूली संचालक की धरोहर राशि से सीधे की जा सकेगी। इसके बाद की वसूली के लिए कानूनी कार्यवाही भी की जा सकती है। धरोहर राशि से काटी गई राशि की पूर्ति के लिए उतनी राशि संचालक को पुनः जमा करवाई जावेगी।

11.5 आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ को उक्त आवंटन को संस्था हित में बिना कारण बताए 30 दिवस के नोटिस पर समाप्त करने का अधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
मोहर (यदि हो)

11.6 बूथ/कियोस्क संचालक को निर्धारित किराया हर माह अग्रिम निश्चित समय पर उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. उदयपुर में जमा कराना होगा। यदि संचालक द्वारा निर्धारित किराया समय पर जमा नहीं करवाया गया जो आवंटी के विरूद्ध यथोचित कार्यवाही की जा सकेगी।

11.7 संचालक 'सरस' दुग्ध एवॅं दुग्ध उत्पाद तथा अन्य समस्त खाद्य सामग्रीयों की आरसीडीएफ/जिला दुग्ध संघ द्वारा अनुमादित अधिकतम खुदरा दर, जिसका प्रकाशन बूथ/कियोस्क पर करना होगा, से अधिक दर नहीं ले सकेगा। यदि अनुमोदित दर से अधिक वसूली की शिकायत सत्यापित हुई तो संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

11.8 यदि बूथ/कियोस्क स्वास्थ्यकर ढंग से (Hygienically) साफ–सुथरा नहीं पाया गया तो संचालक के विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

12. **<u>अनुबन्ध</u>**

12.1 संचालक द्वारा उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के साथ निर्धााति प्रारूप में रू0 500/– के नॉन ज्युडिशियल स्टेम्प पेपर नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित अनुबंध करना होगा। निर्धारित प्रारूप संबंधित जिला दुग्ध संघ द्वारा उपलब्ध करवा दिया जावेगा।

13 **<u>विवाद</u>**

13.1 किसी विवाद की स्थिति में उदयपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि. के प्रबन्ध संचालक अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा जो संचालक को मान्य होगा।

13.2 किसी भी विवाद के संबंध में मध्यस्थ एवॅं सुलह अधिनियम के तहत् निर्णायक नियुक्त कर कार्यवाही जा सकेगी। प्रबन्ध संचालक, आरसीडीएफ अथवा उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति द्वारा पंच निर्णय की कार्यवाही की जावेगी। पंच निर्णायक नियुक्ति में कोई उज्र या आपत्ति मान्य नहीं होगी।

13.3 न्यायिक कार्यवाही के लिए संबंधित जिला दुग्ध संघ के मुख्यालय पर स्थित न्यायालय का क्षेत्राधिकार होगा।

आवेदक के हस्ताक्षर
मोहर (यदि हो)